2025 | 365

निपि

फर्द अहकाम

10.6.2025

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

सुनील मटोरिया बनाम **नानूदेवी आदि**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट — प्रकरण संख्या 242 वर्ष 2025

24.7.2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
21.05.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 27.05.2025 को पेश हो।	
27.5.25	फुलाए फरीक उपस्थित। पत्रावली दिनांक 24.7.2025 को पेश हो	
2.6.2025	वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना-पत्र निवारण पेश पेश करने पर प्रत्यावली को पेशी में लिया गया। फुलाए फरीकेन उपस्थित। वादी-प्रतिवादी सवाल ने हाजिर अदालत आपस राजीनामा पेश किया जिसे बाद तसदीक शामिल फाईल किया गया। प्रत्यावली वास्ते रूबरू जवाब आईन्दा तारीख 10.6.2025 को पेश हो।	सुनील मटोरिया सन्तोष कान्ता सपा लीलाधर
10.6.2025	फुलाए फरीकेन उपस्थित। रूबरू जवाब पेश हुआ वहस सुनी गयी। प्रत्यावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यावली [illegible] वादी-प्रतिवादी के राजीनामा के आधार पर [illegible] किया जाता है। [illegible] से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। प्रत्यावली नम्बर के कम की जाकर बाद तसदीक तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.06.22 14:16:10 IST
Reason: SelfAttested